राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 41/22
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022/162
दायर दिनांक– 13.12.2022
निर्णय दिनांक– 29.03.2023

1. कमला पत्नि जगरूप
2. कालूराम पुत्र श्योचन्द
3. मनराज पुत्री जगरूप
4. राम पुत्र जगरूप
5. लक्ष्मण पुत्र जगरूप
6. लाली पत्नि श्योचन्द
7. लीला पुत्री श्योचन्द
8. सेठूराम पुत्र जगरूप
9. सरोज पुत्री जगरूप

सर्वजाति कुम्हार, सर्वनिवासी ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी, अधि0 प्रार्थीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ग्राम सुरसुरा, पटवार हल्का सुरसुरा, भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 994 के ख0न0 914 रकबा 1.2944 है0 भूमि संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी भूमि अवस्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण के नाम संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर मौके पर काबिज काश्त करता चले आ रहे हैं, जिसमें प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण की वाद वर्णित संयुक्त कृषि आराजी की अन्य खसरा नम्बरान से लगी हुई भूमि पर पडौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर विवाद होते है।

प्रार्थीगण ने अपनी [illegible] सीमाज्ञान करवाने के आदेश तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पटवारी के नाम से करवाये [illegible] हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौका पर्चा तैयार किया गया था। [illegible] किये जाने के आदेश करावें। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से अपनी संयुक्त कृषि आराजी [illegible] करते [illegible] रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की [illegible] पड़ोसी खातेदार की [illegible] की नींव, सींव, मेढ़ को लेकर विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए पत्थर[illegible] किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:14 IST
Reason: SelfAttested

29.3.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। तदनुसार ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2070–2073 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 994 के ख0न0 914 रकबा 1.2944 है0 भूमि पर कमला पत्नि जगरूप हि0 1/42 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, कालूराम पुत्र श्योचन्द हि0 1/18 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, नाथी पुत्री रामेश्वर हि0 1/10 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, नारंगी पुत्री रामेश्वर हि0 1/10 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, मंगला पुत्र उदा हि0 1/6 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, मनराज पुत्री जगरूप हि0 1/42 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, राम पुत्र जगरूप हि0 1/42 जाति कुम्हार (प्रजापत), लक्ष्मण पुत्र जगरूप हि0 1/42 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, लाली पत्नि श्योचन्द हि0 1/18 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, लीला पुत्री श्योचन्द हि0 1/18 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, सेठूराम पुत्र जगरूप हि0 1/42 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर हि0 1/10 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, संतोष पुत्री जगरूप हि0 1/42 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, सुरज्ञान पुत्री रामेश्वर हि0 1/10 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, सरोज पुत्री जगरूप हि0 1/42 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार, सायरी पत्नि रामेश्वर हि0 1/10 जाति कुम्हार(प्रजापत) सा0देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया।

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार तहसीलदार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रसत आराजी की संयुक्त कब्जे काश्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान अनुसार ही मौके पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के खाता संख्या 994 के ख0न0 914 रकबा 1.2944 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूप्ये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

29.3.23

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:14 IST
Reason: SelfAttested

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)